न्यायालय माननीय राजस्व परिषद, ग्वालियर (म.प्र.)

R-59-II/2003 निगरानी/

(1) अयोध्या प्रसाद, उम्र लगभग 65 वर्ष
(2) काशी प्रसाद, उम्र लगभग 53 वर्ष
(3) विशेषर प्रसाद, उम्र लगभग 33 वर्ष

} आत्मज स्वर्गीय श्यामसुंदर सभी निवासी, ग्राम पटपरा तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

निगरानीकर्ता

बनाम्

(1) अनिरुद्ध प्रसाद, उम्र लगभग 48 वर्ष
(2) अरुण कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष

} आत्मज स्वर्गीय जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम पटपरा तहसील मऊगंज जिला रीवा (मध्य प्रदेश)

(3) शोभनाथ, उम्र लगभग 80 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय रामपियारे ब्राह्मण, निवासी ग्राम पटपरा तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

..... उत्तरदातागण

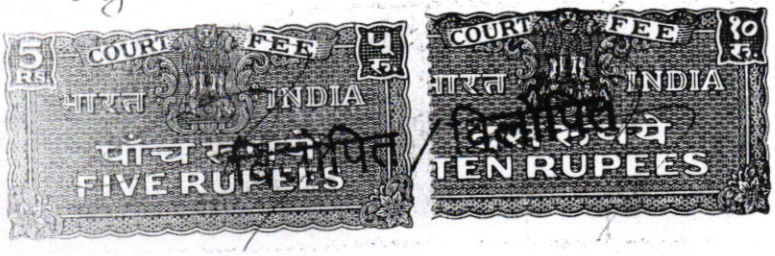

अपर आयुक्त रीवा, संभाग के आदेश दिनांक 14.11.2000, जो उन्होंने द्वितीय अपील क्रमांक 453/96-97, श्याम सुंदर आदि विरुद्ध अनिरुद्ध आदि में पारित किया था, के विरुद्ध निगरानी, अंतर्गत धारा 50/32म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

प्रकरण के तथ्य, संक्षिप्त में इस प्रकार हैं :-

श्याम सुंदर दुबे, पिता निगरानीकर्तागण तथा शोभनाथ दुबे, उत्तरदाता क्रमांक 3 ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज रीवा के एक आदेश दिनांक 18.09.95 प्रकरण क्रमांक 86/अ-6/94-95 अनिरुद्ध प्रसाद बनाम् श्याम सुन्दर आदि के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के यहां द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 453/अपील/96-97, श्याम सुंदर आदि बनाम् अनिरुद्ध प्रसाद आदि दिनांक 18.09.97 को प्रस्तुत किया और श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया। बाद में अपीलार्थी श्यामसुंदर की मृत्यु हो गई। अतः न्यायालय के इस आदेश दिनांक 18.01.2000 से श्यामसुंदर के स्थान पर उनके वारिसान अयोध्या प्रसाद, काशी प्रसाद व विशेषर प्रसाद को स्थानापन्न किया गया। अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने अपीलार्थीगण से कहा कि उनको प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में आना आवश्यक नहीं है। मैं स्वयं देख लूंगा और आवश्यकता पड़ने पर सूचित करूंगा। काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 59–दो/ निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर की गई आपत्ति पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 453/96-97 में पारित आदेश दिनांक 14-11-2000 के विरूद्व यह निगरानी राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर में दिनांक 8-1-2003 को प्रस्तुत हुई है, जबकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 453/96-97 में पारित आदेश दिनांक 14-11-2000 **के विरूद्व अनावेदक कमांक-3** ने राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर में निगरानी कमांक 60-दो/2003 प्रस्तुत की थी और इस प्रकरण आवेदक एंव अनावेदक पक्षकार रहे हैं । राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर के निगरानी कमांक 60-दो/2003 में पारित आदेश दिनांक 27-4-11 इस प्रकार है :- '' दिनांक 14-11-200० को अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश में आवेदकों के व्दारा प्रकरण न चलाये जाने का आवेदन पत्र स्वीकारते हुये अपील समाप्त की है। इसके विरूद्व 2 साल 3 माह पश्चात् यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक के व्दारा यह आधार बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में षड़यंत्रपूर्वक अपील समाप्त की गई है। यदि ऐसा होता तो उन्हें वहीं पुनरावलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था या निर्धारित अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित होना चाहिये था। प्रस्तुत निगरानी सीधे-2 समयवाधित है अतः सुनवाई के लिये अग्राह्य की जाती है ''।	

2/ राजस्व मण्डल के निगरानी क्रमांक 60–दो/2003 में पक्षकार रहे तीनों आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 453/96–97 अपील में पारित उसी आदेश दिनांक 14–11–2000 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 8–1–2003 को अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत की है , जबकि इन पक्षकारों को तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 27–4–11 से अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर होना बताया है फिर भी अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन प्रस्तुत न करते हुय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 14–11–2000 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 8–1–2003 को अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत की है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी आगे प्रचलन–योग्य न होने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य